दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है। घटना छाल थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कल थाना छाल में 17 वर्षीय बालिका अपने-माता पिता के साथ थाना आकर जितेन्द्र राठिया उम्र 20 वर्ष द्वारा 02 वर्ष पूर्व से प्रेम संबंध बनाकर शारीरिक संबंध स्थापित करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडिता ने बताया कि जितेद्र राठिया दो वर्ष पूर्व से मुझे पसंद करता हूं, शादी करूंगा बोलकर अपने कोठार के कमरे में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद जितेद्र के घर में जब कोई नहीं रहते थे भी अपने घर बुलाता । मेरे द्वारा शादी करने को कहने पर जितेन्द्र शादी से इंकार किया तो गांव में बैठक भी किये, जितेन्द्र बैठक में भी शादी से इंकार कर वहां से भाग गया। तब जितेन्द्र पर कार्यवाही के लिये थाना छाल में रिपोर्ट दर्ज करायी। पीडिता के रिपोर्ट पर थाना छाल में आरोपी जितेन्द्र राठिया के विरूद्ध धारा 376 भादंवि 4,6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मोबाईल दुकान से चला रहा था सट्टा, आरोपी पुलिस गिरफ्त में

न्याय साक्षी/रायगढ़। मोबाईल दुकान में सट्टा पट्टी लिखते एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना तमनार थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक कल दोपहर थाना प्रभारी तमनार को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम मीलूपारा के प्रज्ञा सेलकम दुकान में कृष्णा यादव पिता लोहर साय उम्र 23 वर्ष सा0 कुकरीचोली थाना बागबहार जिला जशपुर के द्वारा अवैध रूप से सट्टा पट्टी अंको में लिखकर रूपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का खेल खेला रहा है। सूचना पर कार्यवाही केलिये थाना तमनार से प्रधान आरक्षक उदय सिंह सिदार के हमराह आरक्षक श्याम सुन्दर साहू, ओम प्रकाश पटेल, जगदेव मरकाम को कार्यवाही केलिये रवाना किये गया जिनके द्वारा गवाहों के समक्ष रेड कार्यवाही किया गया जिसमें कृष्णा यादव के कब्जे से सटटा पर्ची 07 नग, नगदी रकम 8300 रूपये, 02 नग डट पेन मिला। आरोपी कृष्णा यादव के विरूद्ध थाना तमनार में 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

रायगढ़ -पुसौर के 43 सरपंच व पूर्व सरपंच के खिलाफ वारंट जारी

» निर्माण कार्यो का 12 करोड़ से भी अधिक है बकाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले के 43 सरपंच व पूर्व सरपंचों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इनके खिलाफ विभिन्न निर्माण कार्यो में बकाया होनें के चलते जारी हुआ नोटिस जारी हुआ है। इनसे लगभग 12 करोड़ से भी अधिक की राशि होनी है वसूली, सूत्रों के अनुसार लगातार नोटिस के बाद भी सरपंच व पूर्व सरपंच नही कर रहे थे बकाया रकम जमा नही कर रहे थे।

रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य के बकाया राशि वसूली हेतु रायगढ़ एवं पुसौर विकासखण्ड के कुल 43 बकायादारों को राशि जमा करने हेतु एसडीएम रायगढ़ द्वारा निर्देशित किया गया है। जिनमें विकासखण्ड रायगढ़ के 19 बकायादारों को 984589 रुपए का बकाया 8 अगस्त तक जमा करने एवं पुसौर विकासखण्ड के 24 बकायादारों को 739370 रुपए का बकाया 6 अगस्त तक जमा करने हेतु कहा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत बकायादारों में श्रीमती सुकांती चौहान भू.पू.सरपंच संबलपुरी, धरमराम भू.पू.सरपंच गेरवानी, मधुरलाल सारथी भू.पू.सरपंच नौरंगपुर, श्रीमती मीना चौहान भू.पू.सरपंच लिटाईपाली, तिहारूराम भू.पू.सरपंच भातपुर, श्रीमती चंद्रकांती प्रधान भू.पू.सरपंच लोईंग, श्रीमती मेमबाई भू.पू.सरपंच लोईंग, राजेश कुमार भू.पू.सरपंच बोईरदादर, घनश्याम भू.पू.सरपंच लोईंग, सुखलाल भू.पू.सरपंच लोईंग, मनोहर सिदार भू.पू.सरपंच अमलीभौना, श्रीमती रंगमेन भू.पू.सरपंच संबलपुरी, हेमराज मालाकार भू.पू.सरपंच बंगुरसिया, हलधर भू.पू.सरपंच नंदेली, षष्ठम प्रधान अनुदान ग्राहिता ग्रा.प.कोयलंगा, गंगाराम दर्शन भू.पू.सरपंच भेलवाटिकरा, हीरालाल भू.पू.सरपंच उर्दना, भुरूराम/गंगाराम गायरेन्टर महापल्ली एवं बलीराम अनुदान ग्राहिता बंगुरसिया शामिल है। पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत बकायादारों में दिनेश कुमार चौहान पुटकापुरी, श्रीमती सेवती निषाद चिखली, मंगलूराम ओगरे गढ़उमरिया, राजेन्द्र कुमार गढ़उमरिया, घनश्याम सिदार बासनपाली, संतराम सिदार रूचिदा, मंगलूराम ओगरे गढ़उमरिया, छत्रवपति गुप्ता सोडेकेला, श्रीमती सुरूवलरी गुप्ता महलोई, श्रीमती उत्तरा कुमारी सिदार गोर्रा, सुभाष बाग छोटेहरदी, दिनेश कुमार नवापारा, चित्रसेन यादव सोड़ेकेला, श्रीमती सनियारो बाई गढ़उमरिया, श्रीमती प्रियाबाई लोहरसिंग, श्रीमती यज्ञशेन सोडेकेला, डोलेश्वर नायक बासनपाली, श्रीमती बहरतीन बाई पुसल्दा, ब्रजराज चौहान सोडेकेला, दयासागर गढ़उमरिया, श्रीमती विशाखा साव छोटेहरदी, राधेश्याम उरांव खोखरा, रूपराम सिदार छिछोरउमरिया एवं शंकर लाल उरांव खोखरा शामिल है।

ऋण हेतु 31 तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कामगार एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु लक्ष्य प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिसके लिए 31 जुलाई 2019 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन नियत तिथि एवं समय पर कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में प्राप्त कर जमा कर सकते है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक का आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 01 लाख 4 हजार रुपए एवं शहरी क्षेत्र का होने 01 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नही होना चाहिए। आवेदक संबंधित जाति का वर्ग को हो तथा वह रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो।

पूर्व में ऋण अथवा अनुदान नहीं लिया हो का शपथ प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। ट्रेक्टर ट्राली योजना के लिए 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वाहन संबंधी योजना में आवेदक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है एवं आवेदक के पास व्यवसाय संचालन करने हेतु स्वयं अथवा किराये का स्थान (किरायानामा सहित)होना आवश्यक है तथा प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते है।

बाईक को ठोकर मारकर पलटी कार, लगी आग

न्याय साक्षी/रायगढ़। उर्दना -रामपुर मार्ग में कार और बाइक में जोरदार टक्कर होने की जानकारी मिल रही है,बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार कार का चालक नशे में धुत्त था। बाईक को ठोकर मारने के बाद कार आगे जाकर पलट गई और उसमें आग लग गई।

मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर रोड में बेक़ाबू कार और बाइक में टक्कर हो गई,जिसके बाद बेक़ाबू कार पलट गई और फिर उसमें आग लग गई, बताया जाता है कि कार कोतरलिया के समारू यादव की है,वहीं बाइक सवार नान्हू कुमार ढिमरापुर का रहने वाला है। घटना के बाद 112 कि मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया,बाइक सवार का हाथ टूटने की जानकारी मिली है।

मछली विक्रेताओं को दिया गया ऑइस बाक्स व तराजू-बाट

न्याय साक्षी/रायगढ़। मछली पालन विभाग रायगढ़ द्वारा वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्ड के विभिन्न वर्ग के 22 फुटकर मछली विक्रेताओं (पुरूष एवं महिला) जो बाजारों में चिल्हर मत्स्य विक्रय करते है। उन्हे मछली को ताजा रखने के लिए ऑइस बॉक्स एवं मत्स्य विक्रय में उपयोग हेतु तराजू, बाट, परसूल एवं कटर दिया गया। सहायक संचालक मछली पालन रायगढ़ श्री के.पी. चौधरी ने बताया कि इस वर्ष जिले के विभिन्न वर्गो के कुल 87 कृषकों को सामग्री दिया जाना है।

सारंगढ़ के ऑइस बॉक्स प्राप्त करने वाली महिलायें श्रीमती सुकवारा, श्रीमती चैनमती भारद्वाज एवं श्रीमती सावित्री जोल्हे ने बताया कि ऑइस बॉक्स मिलने से वे काफी समय तक मछली को ताजा रखकर बेच सकते है एवं मछली विक्रय के पश्चात् बच जाने पर दूसरे दिन भी ताजा रख सकते है। उन्होंने विभाग की योजनाओं की सराहना की है। इससे प्रति दिवस उन्हे 500 से 1000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी
एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बॉडी के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th
Topper Students Last Session
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
Join CAREER...
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी
समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं.
9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480